बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, खगड़िया।

निविदा सूचना

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 के अधीन राजस्व जिला खगड़िया हेतु परिवहन सह हथालन अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-

डोर स्टेप डिलीवरी के तहत निगम के टी0पी0डी0एस0 गोदामों से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों तक खाद्यान्नों से परिवहन हेतु अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिये परिवहन हथालन सह आपूर्तिकर्त्ता (डी0एस0डी0) की नियुक्ति के लिए निविदा प्रपत्र की बिकी, निविदा डालने एवं खोलने की तिथि निम्नवत है:-

परिवहन-सह-हथालन अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0)	निविदा बिक्री की तिथि	प्री-बिड मिटिंग की तिथि	निविदा डालने की तिथि	निविदा खोलने की तिथि
कुल आवश्यकता- 02(खगड़िया एवं गोगरी अनुमण्डल)	16 से 20 मार्च 2017	24 मार्च 2017	27 मार्च 2017 (9 बजे पूर्वाहन से 3 बजे अपराह्न तक)	27 मार्च 2017 (4 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक)

निविदा प्रपत्र क्रय हेतु खगड़िया जिला के जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम कार्यालय से उपर्युक्त निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथियों में कार्यालय अवधि में 5000/-(पांच हजार) रूपये नगद जो लौटाने योग्य नहीं है वो भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।विस्तृत निविदा सूचना एवं शर्त निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त करने की जवाबदेही निविदाकर्ताओं की होगी। निविदादाता अपनी निविदा संबंधित कागजात जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

1. वैसे निविदादाता जो पूर्व में राज्य खाद्य निगम /भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भंडार निगम/राज्य भंडार निगम एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा यदि "ब्लैकलिस्टेड" किये गये हों तो वैसे निविदादाता के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. वैसे निविदादाता जो भारतीय खाद्य निगम से निगम के गोदामों हेतु परिवहन-सह-हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) के रुप में जिला में नियुक्त एवं कार्यरत है वे इस जिला के निविदा मे भाग नही ले सकते हैं।
3. वैसे व्यक्ति या कम्पनी या फर्म जो राईस मिलर अथवा फलावर मिल मालिक हैं अथवा जन वितरण प्रणाली विकता है अथवा जिन पर एस0एफ0सी0 का कोई बकाया है, वे इस निविदा मे भाग नही ले सकते हैं।
4. निविदादाता के चयन के पश्चात चयनित निविदादाता द्वारा अपने खर्च पर खाद्यान्न परिवहन हेतु सभी वाहनों पर लोड सेल एवं सकिय जी0पी0एस0 लगाना अनिवार्य होगा।
5. निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) की अधिसूचना 15 फरवरी 2013 के आलोक मे लीज वाले प्रत्येक वाहन के लिए 1000/-(एक हजार) रुपये के नन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अलग-अलग एकरारनामा होना चाहिए। एक वाहन का एकरारनामा एक ही निविदादाता के पक्ष मे होना चाहिए। यदि एक से अधिक निविदादाता के पक्ष मे एक ही वाहन का एकरारनामा पाया जायेगा तो उस वाहन से सम्बद्व सभी निविदादाताओं का निविदा रद् कर दिया जायेगा।
6. निविदा के समय डाले गए निजी स्वामित्व और लीज पर लिए गए एकरारनामित नंबर वाले वाहनो के साथ ही चयन के उपरात एकरारनामा करना होगा और उसी निबंधित/ एकरारनामित नंबर वाले वाहनो के साथ ही चयन के उपरांत एकरारनामा करना होगा और उसी निबंधित/ एकरारनामित वाहनो से ही खाद्यान्न का उठाव करना अनिवार्य होगा।
7. एक निविदादाता किसी एक जिले के लिए ही निविदा डालेगें। यदि एक निविदादाता एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करेगें तो उनका सभी निविदा रदद् कर दिया जायेगा।
8. एकरारनामा में कुल निबंधित नंबर वाले वाहन से ही खाद्यान्न का उठाव करना अनिवार्य होगा।
9. एकरारामा तीन वित्तीय वर्ष के लिये (एकरारनामा की तिथि से) किया जायेगा। किन्तु कार्य में असफल होने या कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में एकरारनामा समय से पूर्व ही रद कर दिया जा जायेगा।
10. निविदा संबंधी सभी आवश्यक जानकारी संबंधित जिला कार्यालय/sfc.bihar.gov.in से प्राप्त की जा सकेगी।

25/04/17

जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम खगड़िया।

25/02/17